प्रकरण संख्या – 384/2018
किस्म मुकदमा – प्रतिकर निर्धारण

उनवान

1.	परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भीलवाड़ा	बनाम	1. 2.	श्री भैरूसिंह पुत्र गजेन्द्र सिंह राजपूत, निवासी गुढ़ा, तहसील माण्ड़ल श्री भंवरसिंह पुत्र चैनसिंह, भैरूसिंह, बृजपालसिंह, गंगासिंह, विष्णुकंवर पिता गजैन्द्रसिंह, कमलाकंवर पत्नि गजैन्द्रसिंह, शंकरसिंह, पुरूषोत्तमसिंह मृतक के वारीसान– ओमेन्द्रसिंह, विजयसिंह पुत्र पुरूषोत्तमसिंह, सुनिताकंवर पुत्री पुरूषोत्तमसिंह, शंकरकंवर पत्नि पुरूषोत्तमसिंह, लक्ष्मणसिंह, मोहनसिंह पिता नाथूसिंह राजपूत, निवासीयान् गुढ़ा, तहसील माण्ड़ल, जिला भीलवाड़ा
	––प्रार्थी			––विपक्षीगण

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79 के छःलेन निर्माण/चौडाकरण हेतु अवार्ड अन्तर्गत धारा 3G राष्ट्रीय राजमार्ग भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1956 एवं Section 24 of RFCTLARR Act, 2013 to Acquisition Under NH Act, 1956 के अन्तर्गत प्रतिकर निर्धारण

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम, जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.04.2019	**: आदेश ::** भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79 के छः लेन निर्माण /चौंड़ाकरण के लिए अतिरिक्त भूमि अवाप्ति हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1956 की धारा **3 A (1)** के अन्तर्गत अधिसूचना **दिनांक 31/01/2018** को प्रकाशित की गयीं, जिसका प्रकाशन दो स्थानीय समाचार पत्रो में **दिनांक 24/02/2018** को किया गया। इसके उपरान्त विहित अधिनियम की धारा **3 D (1)** के अन्तर्गत अधिसूचना **दिनांक 14/08/2018** को प्रकाशित की गयीं, जिसका प्रकाशन् दो स्थानीय समाचार पत्रो में **दिनांक 15/09/2018** को किया गया। सूचना प्रकाशन होने के उपरान्त विहित अधिनियम की धारा **3 D (2)** के अनुसार अवाप्ताधीन भूमि समस्त भारो से मुक्त होकर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारत सरकार में निहित हो चुकी है। परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भीलवाड़ा ने पंत्राकः 4925 दिनांक 27/11/2018 के क्रम में विहित अधिनियम के तहत धारा **3D** में अधिसूचित अवाप्ताधीन भूमि का प्रतिकर निर्धारण किया जाना हैं। परियोजना निदेशक से प्राप्त पत्र को दृष्टिगत रखते हुए विहित अधिनियम की धारा **3D** के अन्तर्गत प्रकाशित अधिसूचना का अवलोकन किया गया। अधिसूचना के अनुसार विपक्षीगण के खाते मे अंकित **ग्राम गुढ़ा, तहसील माण्ड़ल की आराजी नम्बर 534/1 में से 0.0126 हेक्टयर** भू–भाग अवाप्त किया गया हैं। **तहसीलदार माण्ड़ल** से अवाप्ताधीन भूमि का सत्यापन प्रतिवेदन एवं जमाबन्दी की प्रति प्राप्त की गई तथा अवाप्ताधीन भूमि की **DLC** दर उप पंजीयक **माण्ड़ल** से प्राप्त की गयीं। पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार माण्ड़ल द्वारा प्रस्तुत जॉच रिपोर्ट दिनांक 04/04/2019 से अवगत कराया कि ग्राम गुढ़ा की आराजी नं0 534/1 रकबा 0.04 बीघा श्री भंवरसिंह पुत्र चैनसिंह, भैरूसिंह, बृजपालसिंह, गंगासिंह, विष्णुकंवर पिता गजैन्द्रसिंह, कमलाकंवर पत्नि गजैन्द्रसिंह, शंकरसिंह, पुरूषोत्तमसिंह मृतक के वारीसान–ओमेन्द्रसिंह, विजयसिंह पुत्र पुरूषोत्तमसिंह, सुनिताकंवर पुत्री पुरूषोत्तमसिंह,	

अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) एवं सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति), भीलवाड़ा

राजपूत, निवासीयान् गुढ़ा के नाम खातेदारी से दर्ज रिकार्ड हैं। मौक पर उक्त आराजी में श्री भैरूसिंह पुत्र गजेन्द्र सिंह द्वारा 2.55 गुणा 2.50 अर्थात 6.38 वर्ग मीटर की दुकान बनी होकर छः लेन निर्माण की अवाप्ति में आ रही हैं। अवाप्ताधीन भूमि पर निर्मित निर्माण संरचना के संबंध में परियोजना निदेशक ने अधिकृत मूल्यांकन कर्त्ता द्वारा तैयार तथा स्वयं एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग से प्रमाणित एवं सत्यापित मूल्यांकन प्रतिवेदन श्री भैरूसिंह पुत्र गजैन्द्र सिंह राजपूत के नाम का प्रस्तुत किया गया।

अतः तहसीलदार माण्ड़ल से प्राप्त मौका सत्यापन रिपार्ट तथा जॉच रिपोर्ट एवं जमाबन्दी की प्रति तथा परियोजना निदेशक द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित सत्यापित मूल्याकंन प्रतिवेदन को आधार स्तम्भ लिया जाकर **ग्राम गुढ़ा की आराजी नम्बर 534/1 में से 6.38 वर्ग मीटर** भूमि का प्रतिकर खातेदार श्री भंवरसिंह पुत्र चैनसिंह, भैरूसिंह, बृजपालसिंह, गंगासिंह, विष्णुकंवर पिता गजैन्द्रसिंह, कमलाकंवर पत्नि गजैन्द्रसिंह, शंकरसिंह, पुरूषोत्तमसिंह मृतक के वारीसान– ओमेन्द्रसिंह, विजयसिंह पुत्र पुरूषोत्तमसिंह, सुनिताकंवर पुत्री पुरूषोत्तमसिंह, शंकरकंवर पत्नि पुरूषोत्तमसिंह, लक्ष्मणसिंह, मोहनसिंह पिता नाथूसिंह राजपूत, के नाम एवं उस पर निर्मित निर्माण सरंचना का निर्धारण श्री भैरूसिंह पुत्र गजैन्द्र सिंह राजपूत के नाम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

राष्ट्रीय राजमार्ग भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1956 की धारा **3 G (1) (7)** में प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए नवीन भूमि अर्जन पुनःर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अनुसार अवाप्ताधीन भूमि का निम्नानुसार प्रतिकर निर्धारण किया जाता है तथा हितबद्ध व्यक्ति/खातेदार को भुगतान करने के आदेश दिये जाते हैं –

क0सं0	विवरण	विवरण/प्रतिकर राशि
1	आराजी नं0 (ग्राम गुढ़ा)	534/1
2	अवाप्ताधीन रकबा	6.38 वर्ग मीटर
3	किस्म भूमि	गे.मु.आबादी
4	हितबद्ध खातेदार	श्री भैरूसिंह पुत्र गजैन्द्र सिंह राजपूत, निवासी गुढ़ा, तहसील माण्ड़ल श्री भंवरसिंह पुत्र चैनसिंह, भैरूसिंह, बृजपालसिंह, गंगासिंह, विष्णुकंवर पिता गजैन्द्रसिंह, कमलाकंवर पत्नि गजैन्द्रसिंह, शंकरसिंह, पुरूषोत्तमसिंह मृतक के वारीसान– ओमेन्द्रसिंह, विजयसिंह पुत्र पुरूषोत्तमसिंह, सुनिताकंवर पुत्री पुरूषोत्तमसिंह, शंकरकंवर पत्नि पुरूषोत्तमसिंह, लक्ष्मणसिंह, मोहनसिंह पिता नाथूसिंह राजपूत, निवासीयान् गुढ़ा
5	दिनांक 24.02.2018 को **DLC** दर (प्रति वर्ग फीट)	420– रूपये
6	दिनांक 24.02.2018 को **DLC** दर (प्रति वर्गमीटर)	4519.20– रूपये
7	**PWD** के अनुसार ग्राम **गुढ़ा** की शहरी सीमा से स्थित दूरी	6.30 किमी
8	कृषि भूमि की प्रतिकर राशि (क्षेत्र **X** दर)	28,832– रूपये
9	राज्य सरकार द्वारा निर्धारित फेक्टर दूरी 00–10 किमी पर देय कारक **1.25** गुणा की दर से खातेदार श्री भंवर वगैरहा की राशि	36,040– रूपये
10	अधिकृत मूल्यांकनकर्त्ता द्वारा तैयार मूल्यांकन श्री	72,141– रूपये

ति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन)
सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति),
भीलवाड़ा

13	सोलिशियम (तोषण) राशि (100 प्रतिशत) निर्माण सरंचना श्री भैरूसिंह पुत्र गजैन्द्र सिंह राशि का	72,141— रूपये
14	योग **(12+13)**	**1,08,181— रूपये**
15	दिनांक **24.02.2018** से **16.04.2019** तक कुल 416 दिवस का ब्याज (12 प्रतिशत से)	3,943— रूपये
16	कुल मुआवजा राशि कॉलम नं0 **(11+14+15)**	**2,20,305— रूपये**
17	कुल प्रतिकर राशि पर 10 प्रतिशत की दर से आयकर **(TDS)** कटौती	—
18	**कुल भुगतान की जाने वाली राशि**	**2,20,305— रूपये**
	हितबद्व खातेदार **श्री भंवरसिंह वगैरहा** को भूमि का प्रतिकर भुगतान की जाने वाली राशि	76,023— रूपये
	अक्षरे — छन्तर हजार तेबीस रूपये मात्र	
	हितबद्व **श्री भैरूसिंह पुत्र गजैन्द्र सिंह** को निर्माण सरंचना का भुगतान की जाने वाली राशि	1,44,282— रूपये
	अक्षरे — एक लाख चवालीस हजार दौ सौ बियासी रूपये मात्र	

अवाप्त भूमि का अवार्ड़ जारी किया जावे। प्रार्थी परियोजना निदेशक अवार्ड़ अनुसार प्रतिकर राशि तत्काल इस न्यायालय के बैंक अकाउन्ट में जमा कराना सुनिश्चित करेगें। विलम्ब के लिए प्रार्थी परियोजना निदेशक जिम्मेदार होगें। अवार्ड़ की प्रति प्रार्थी परियोजना निदेशक, तहसीलदार एवं हितबद्व व्यक्ति/खातेदार को प्रेषित की जावे। तहसीलदार हितबद्व व्यक्ति/खातेदार से सम्पर्क कर प्रतिकर भुगतान पत्रादि प्रस्तुत करावे। अवाप्तशुदा भूमि को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पक्ष मे राजस्व अधिकार अभिलेख मे अंकन किया जावे तथा भूमि का कब्जा परियोजना निदेशक को सुपुर्द किया जावे।

पत्रावली बाद दाखला रजिस्टर के नम्बर से कम होकर फैसल शुमार की जावे।

(राकेश कुमार)
अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन)
एवं सक्षम अधिकारी (भूमि अवाप्ति)
भीलवाड़ा

अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन)
एवं सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति)
भीलवाड़ा